भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 149

जिसका उत्तर सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)को दिया गया

पीएम जन धन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट

149. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत पात्र महिला खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा देने का प्रावधान है और यदि हाँ, तो इसके लिए पात्रता मानदंड और दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य, विशेषकर जौनपुर संसदीय क्षेत्र में, वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान इस सुविधा के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या वर्षवार और जिलावार कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बैंक पात्र महिलाओं को यह सुविधा देने से मना कर रहे हैं और वे सिबिल स्कोर, गारंटर और अन्य अतिरिक्त शर्तों पर जोर देते हुए कहते हैं कि ये इसके लिए अनिवार्य दस्तावेजी औपचारिकताएं हैं;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) क्या सरकार का इस योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचाये जाने और सभी पात्र महिलाओं को एक नियत समय-सीमा के भीतर लाभ मिलना, तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने का विचार है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक पात्र महिला खाताधारकों सहित पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि वे निम्नानुसार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों : -

i. 2000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी;
ii. औसत मासिक शेष राशि का चार गुना या पिछले छह महीनों के कुल ऋण का 50%, जो भी

कम हो; और

iii. ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने की आयु सीमा 18-65 वर्ष है।

ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी खाते के संतोषजनक संचालन, सम्यक तत्परता, योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों और संबंधित बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के अनुपालन सहित ऋण पात्रता के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है।

आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या, इस सुविधा के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

मई 2026 की स्थिति के अनुसार देश भर में 34,77,377 पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया गया है, जबकि इन ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया राशि 475.67 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को जिला/पंचायत/ग्राम स्तर पर बुनियादी स्तर के हितधारकों के सहयोग से ग्राहकों के लिए बाह्य वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक महिलाओं सहित किसानों, छोटे उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, वरिष्ठ नागरिकों आदि जैसे लक्षित वर्गों के लिए विशिष्ट शिविर भी आयोजित करता है। अपनी वित्तीय साक्षरता केंद्र परियोजना के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक वयस्कों को वित्तीय शिक्षा प्रदान कर रहा है।

योजना के बारे में लाभों सहित बैंकिंग की आदतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक सामान्य रूप से शिविर भी आयोजित करते हैं। इसके अलावा, बैंकिंग सेवा वितरण प्रणाली में अंतिम छोर तक संपर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का एक मजबूत नेटवर्क भी स्थानीय/ग्रामीण आबादी से परिचित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा कर रहा है।
